



National Council for Teacher Education
(A Statutory Body of the Government of India)
Wing-II, Hans Bhawan, 1, Bahadur Shah Zafar Marg,

Notice to NCTE Recognized Institutions

1. Whereas pursuant to the NCTE Act of 1993, the NCTE Rules of 1997 and the subsequent Regulations of 2014, all Teacher Educational Institutions (hereafter TEIs) have to Mandatorily comply with the Provisions of the NCTE Act, Rules and Regulations framed thereunder.
2. Whereas the Council is in the process of placing an authenticated list of all the TEIs across the country along with details of intake and courses, for which they have been granted permission, in public domain.
3. Whereas the Council had called upon all TEIs to submit certain information under Regulation 8(12) through an Affidavit within a stipulated time period. ***The list of TEIs which have made submission in this regard have been made public at <http://www.ncte-india.org>.***
4. And whereas it may be noted that the authenticated list would be displayed on the NCTE website for facilitating the candidates seeking admission to recognized teacher education institutions and courses. It shall be deemed as a requirement for every candidate and Affiliating Body to verify from the NCTE website whether or not the institution and course is recognized by NCTE.
5. Now therefore all the TEIs which have failed to make the submission to NCTE are called upon to show cause within 30 days from the date of publication of this notice in newspapers and NCTE website as to why action should not be taken to withdraw their recognition under provisions of the NCTE Act and Regulations made thereunder.
6. The reply should be **uploaded** on or before the midnight of **17/04/2017** at a link provided at <http://www.ncte-india.org> which will be activated from **17/03/2017**.

Member Secretary

Public Notice : *NCTE has begun a process of reforming its recognition process so as to make it more transparent and prompt. Therefore, it is brought to the notice of all concerned that NCTE is not inviting fresh applications for Teacher Education Courses for the Academic Session 2018-19 (Please refer to Public Notice at www.ncte-india.org)*



राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद
(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)
विंग-II, हंस भवन, 1 बहादुर शाह जफर मार्ग,
नई दिल्ली-110002

राअशिप द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थाओं के लिए सूचना

1. जैसाकि वर्ष 1993 के राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अधिनियम, राअशिप के 1997 के नियमों और परवर्ती विनियमों 2014 के अनुसार सभी अध्यापक शिक्षा संस्थाओं को राअशिप अधिनियम, नियमों और इनके अन्तर्गत निर्मित विनियमों के प्रावधानों का अनिवार्य रूप से पालन करना होता है।

00

2. जैसाकि परिषद सभी अध्यापक शिक्षण संस्थाओं की एक प्रमाणित सूची पूरे देश में सार्वजनिक रूप से जारी करने की प्रक्रिया में है जिसके अन्तर्गत प्रविष्ट छात्रों की संख्या तथा विभिन्न पाठ्यक्रमों का विवरण होगा जिसके लिए उन्हें अनुमति प्रदान की गयी है।

3. जैसाकि परिषद ने विनियम 8(12) के अन्तर्गत सभी अध्यापक शिक्षा संस्थाओं से एक शपथ पत्र के माध्यम से निर्धारित समयावधि के भीतर निश्चित सूचना प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। **जिन अध्यापक शिक्षा संस्थाओं ने इस आशय की सूचना प्रस्तुत की है उनकी सूची वेबसाइट <http://www.ncte-india.org> पर सार्वजनिक कर दी गयी है।**

4. तथा जैसाकि यह ध्यान रखा जाए कि मान्यताप्राप्त अध्यापक शिक्षा संस्थाओं और पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले प्रवेशार्थियों की प्रमाणित सूची राअशिप की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। इसे प्रत्येक प्रवेशार्थी और सम्बद्धकारी संस्था से अपेक्षा होगी कि वे राअशिप की वेबसाइट पर यह सत्यापित करें कि संस्था और पाठ्यक्रम राअशिप द्वारा मान्यताप्राप्त है अथवा नहीं।

5. इसलिए अब जिन अध्यापक शिक्षा संस्थाओं ने उपरोक्त शपथ पत्र राअशिप को प्रस्तुत नहीं किए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है जिसमें समाचार पत्र और राअशिप की वेबसाइट में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर यह स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है कि राअशिप अधिनियम और उनके अन्तर्गत निर्मित विनियमों के प्रावधानों के तहत उनकी मान्यता वापिस लेने की कार्रवाई क्यों न की जाए।

6. इस प्रकार, इसका उत्तर दिनांक 17/04/2017 मध्यरात्रि तक <http://www.ncte-india.org> पर अपलोड कर दिया जाना चाहिए, जो 17/03/2017 से सक्रिय हो जाएगी।

सदस्य सचिव

सार्वजनिक सूचना: राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने अपनी मान्यता संबंधी प्रक्रिया में संसोधन की प्रक्रिया शुरू की है, ताकि इसे और अधिक पारदर्शी, स्पष्ट और गतिशील बनाया जा सके। इसलिए सभी संबंधितों को अवगत कराया जाता है कि राअशिप शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए नए आवेदन-पत्र आमंत्रित नहीं कर रही है। (सार्वजनिक सूचना कृपया <http://www.ncte-india.org> पर देखें)